

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/189/19

प्रवेश तिथि
30-12-2019

निर्णय दिनांक
19-10-2020

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट 1956) पंजीकृत कार्यालय-मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर कोच्चि-682018 तथा शाखा कार्यालय यूनिट नम्बर 401 से 404 चौथी मंजिल लुहाडिया टावर अशोक मार्ग सी स्कीम जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठीड।
प्रार्थी

—:बनाम :-

1-जतन सिंह नरुका निवासी-प्लाट नम्बर 17, सोना विहार ग्राम खुदनपुरी अलवर (राज0) 301001

एवं

निवासी प्लाट नम्बर 18 ए, खसरा नम्बर 382, जे.एस.फोरविलर के सामने ग्राम खुदनपुरी अलवर राजस्थान।

2-श्रीमती वीना देवी निवासी प्लाट17, सोना विहार ग्राम खुदनपुरी अलवर (राज0) 301001

एवं

निवासी प्लाट नम्बर 18 ए, खसरा नम्बर 382, जे.एस.फोरविलर के सामने ग्राम खुदनपुरी अलवर राजस्थान।

अप्रार्थी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—: निर्णय :-

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति एक आवासीय प्लाट नम्बर 18-ए, खसरा नम्बर 382, जे.एस. फोरविलर के सामने ग्राम खुदनपुरी अलवर (राजस्थान) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 118.61 वर्गगज है तथा जिसकी चारों सीमाएँ निम्न प्रकार है :- पूर्व दिशा में : अन्य प्लाट, पश्चिम दिशा में प्लाट नम्बर 18-बी, उत्तर दिशा में रोड, दक्षिण दिशा में प्लाट नम्बर 17, उक्त सम्पत्ति श्री जतन सिंह पुत्र श्री राम सिंह के पक्ष में कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 04.03.2016 के अनुसार लिखी गई है, है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया। उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।

प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

- 1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।
- 2-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार-अलवर जिला-अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जापा मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19-10-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आनन्दी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
अलवर (राज.)
1 of 2